राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.8(2)(14)/निर्वा/2013/ 5684 जयपुर दिनांकः 12.10.2013

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान।

समस्त पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान।

विषयः विधान सभा आम चुनाव 2013 – स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के उपाय – अवैध/नकली मदिरा पर रोकथाम।

विधानसभा आम चुनाव, 2013 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि के दौरान राज्य में अवैध मदिरा के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण के साथ ही नकली शराब का प्रयोग बढने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से मदिरा की अवैध आपूर्ति की संभावना भी रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा आम चुनावों के दृष्टिगत मतदाताओं को प्रलोभित/प्रभावित करने के लिए मदिरा के अवैध भंडारण, वितरण एवं आपूर्ति पर विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिये है।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश जारी कर अवैध मदिरा एवं मादक द्रव्यों के अवैध कारोबार के विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जाते है जिसमें पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा समन्वित, सशक्त एवं समयबद्व कार्यवाही किया जाना भी शामिल है। लेकिन विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत इन कार्यवाहियों में और ज्यादा सर्तकता की आवश्यकता है, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने समय–समय पर निर्देश जारी किये है। ये निर्देश Compendium of Instructions on Election Expenditure Monitoring (July, 2013) के पैरा 5.10.6 पर भी है एवं निर्वाचन आयोग परिपत्र क्रमांक 464/INST/2009/EPS दिनांक 01.09.2009 में भी बताये गये हैं।

अतः आगामी विधानसभा चुनावों की अवधि के दौरान हथकढ शराब/नकली शराब के उत्पादन, भंडारण, वितरण तथा अन्य राज्यों से अवैध मदिरा की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करावें:–

1. लाईसेन्सशुदा भंडारकर्ताओं की स्टॉक लिमिट, ऑफटेक, उत्पादन की स्थिति तथा IMFL/बीयर/देशी मदिरा की दुकानों की प्रतिदिन की आवक और ऑफटेक स्थिति और शराब की दुकानों के बंद होने के समय की नजदीकी से मानीटरिंग की जायेगी। यह मानीटरिंग गत वर्ष के आंकडों की तुलना करते हुए की जायेगी।
2. असामाजिक तत्वों, अवैध हथियारों आदि की रोकथाम के लिए चुनाव की अधिसूचना की दिनांक अर्थात 05.11.2013 से लगातार 24 घंटें अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की चैंकिंग के लिए पुलिस द्वारा चैक पोस्टें स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से स्टेटिक सर्विलेन्स टीमें भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गठित होगी। आबकारी विभाग द्वारा भी मदिरा लाने के ठिकानों को चिन्हित कर वाहनों का अन्तर्राज्यीय आवागमन पर गहराई से निगाह रखी जायेगी। अतः वाहनों की चैकिंग एवं निगरानी का कार्य आबकारी विभाग के सर्तकता स्टॉफ द्वारा पुलिस विभाग के साथ आपसी समन्वय से किया जायेगा।

P.T.O. – 2

3. राज्य के समस्त डिस्टलरी, ब्रेवरी, बोटलिंग प्लान्टस के बंधित भंडागार, चाहे वे निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र के हो, लगातार 24 घंटे सी.सी.टी.वी. मॉनिटरिंग की जावें और उन पर आबकारी विभाग के गार्ड रखकर निगरानी रखी जावें और यह सुनिश्चित किया जावें कि बिना समुचित अनुज्ञा के कोई भी मदिरा बाहर नहीं जावे।
4. पुलिस एवं आबकारी विभाग स्प्रिट से नकली देशी मदिरा तैयार करने वाले सक्रिय आदतन तस्करों के नाम, पते तथा तस्करों के ठिकानों की सूचनाओं का आदान–प्रदान आपस में करेंगे तथा दोनों विभाग आपस में सामंजस्य कायम कर अवैध शराब निर्माता एवं तस्करों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करेंगे।
5. हथकढ शराब/नकली देशी शराब/अवैध शराब के निर्माण एवं भण्डारण के चिन्हित क्षेत्रों में खुफिया तंत्र से गोपनीय सूचना संकलित कर ऐसे चिन्हित स्थानों पर पुलिस एवं आबकारी विभाग संयुक्त कार्यवाही करेंगे।
6. अवैध मदिरा के लाने ले जाने तथा अवैध मदिरा के भण्डारण की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जावे।
7. आबकारी आयुक्त एवं स्थानीय आबकारी अधिकारी पड़ौसी राज्यों के आबकारी अधिकारियों से आपस से सामजंस्य रखते हुए मदिरा के अन्तर्राज्यीय परिवहन पर पूरी तरह से निगरानी रखेंगे।
8. आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी उपरोक्त सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए समुचित व्यवस्था रखेंगे तथा अवैध मदिरा की जब्ती की कार्यवाही अभियान के रूप में करवायेंगे।
9. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी प्रत्येक दूसरे दिन कम्पेडियम के परिशिष्ट–22 के निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को एवं निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों को सूचना प्रेषित करेंगे। तथा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी यह सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देते हुए प्रति आयोग को प्रेषित करेंगे।
10. थिनर एवं मिथाईल अल्कोहल नामक जहरीले रसायनों की गंध अल्कोहल के गंध जैसी होने के कारण नकली शराब बनाने वाले तस्कर इन रसायनों का दुरूपयोग नकली शराब बनाने में किये जाने की घटनाएं पूर्व वर्षो में सामने आई हैं। ये जहरीले रसायन विष अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित हैं तथा इनके अनुज्ञापन की कार्यवाही जिला कलेक्टर के अधीन है। अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे अनुज्ञाधारियों की बैठक बुलाकर उनको ऐसे जहरीले रसायनों के दुरूपयोग को रोकना सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.8(2)(14)/निर्वा/2013/ 5684 जयपुर दिनांकः 12.10.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. महानिदेशक (कानून व व्यवस्था), पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. महानिदेशक (ए.टी.एस.), पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), आबकारी विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।